मंथन कमांक 56

उत्तराधिकार का औचित्य और कानून

किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्वामित्व का अधिकार उत्तराधिकार माना जाता है। इस संबंध में कुछ सिद्धांतो पर भी विचार करना होगा–

1 जो कुछ परम्परागत है वह पूरी तरह गलत है अथवा जो कुछ परम्परागत है वह पूरी तरह सही है। ऐसी अतिवादी धारणाओं से बचना चाहिए। देशकाल परिस्थिति अनुसार सिद्धांतों में संशोधन करना चाहिए।

2 समाज में प्रचलित मान्यताओं को सामाजिक और वैचारिक धरातल पर चुनौती देकर ठीक करना चाहिए। कभी कानून का उपयोग नहीं करना चाहिए। सामाजिक स्वीकृति मिलने के बाद एक दो प्रतिशत लोग न माने तब कानून का उपयोग करना चाहिए।

3 प्राचीन समय में जर जोरु जमीन को सर्वाधिक विवाद पूर्ण माना गया है। यह आज भी उतनी ही सच्चाई है।

4 समाज में मान्य परम्पराओं को एकाएक बदलने के प्रयास की अपेक्षा धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करना चाहिए।

5 परिवार के आंतरिक मामलों में कानून को न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। अधिक हस्तक्षेप नुकसान करता है।

6 किसी भी परिस्थिति में कोई ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जो परिवार की आंतरिक एकता को कमजोर करता हो।

जर जोरु जमीन के महत्व को स्वीकार करते हुए भी हम यहॉ महिलाओं के संबंध में अलग से कोई चर्चा नहीं कर रहे है। हम तो सिर्फ जर अर्थात सम्पत्ति और जमीन की चर्चा तक सीमित हैं। वर्तमान समय में जमीन भी सम्पत्ति का ही एक भाग बन गई है। इस संबंध में प्राचीन व्यवस्था समय समय पर बदलती रही है। उत्तराधिकार का कोई भी विवाद समाज में निपट जाता था, कानून के दायरे से बाहर था। जब कोई लडका पिता से अलग होता था तो लडके का कोई अधिकार नहीं माना जाता था बल्कि पिता स्वेच्छा से जो दे दे वही पर्याप्त था। पिता की मृत्यु के बाद भी यदि भाइयों में कोई बंटवारा होता था तो बडा भाई स्वेच्छा से जो दे दे वह ठीक था। वैसे भी जब परिवार के किसी सदस्य का विवाह होता था तो उस विवाह में वर पक्ष का परिवार इतनी सम्पत्ति बहू के स्वामित्व में देता था जो सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त हो। लडकी का पिता भी वर को इसी तरह सम्पत्ति देता था। ये दोनों सम्पत्ति परिवार की न मानकर वर वधु की व्यक्तिगत मानी जाती थी जिसे वे परिवार से अलग होते समय ले जा सकते थे। अंग्रेजो के शासनकाल में इस सामाजिक प्रकिया में कानून का दखल हुआ और पैतृक सम्पत्ति में भाईयों का कानूनी हक बनाया गया। प्राचीन व्यवस्था कानूनी नहीं थी इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में दाय भाग या मिताक्षरा के रुप में प्रचलित थी। मुसलमानों में कुछ और अलग तरह की थी। बाद में इन मान्यताओं को कानूनी स्वरुप देकर और उलझा दिया गया। महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार देकर तो और अधिक अव्यवस्था पैदा कर दी गई। प्रचलित मान्यताओं को सामाजिक जागृति के बाद संशोधित करना चाहिए था किन्तु उन्हें जनजागरण की अपेक्षा कानून के द्वारा बदलने का प्रयास किया गया। 70 वर्ष बीत गये। आज भी भारत की 90 प्रतिशत महिलाओं को यह नहीं पता कि सम्पत्ति में उनके कहां और कितने अधिकार है। यदि पता लग जाता तो पूरे देश में अराजकता फैल जाती। अधिकांश परिवार टूटकर कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाते। मैं स्वयं अब तक नहीं जान पाया कि किसी महिला को पिता की सम्पत्ति में कब और कितना अधिकार है और पिता और पुत्र के मामले में कितना। मैंने बहुत प्रयास किया और नहीं समझ सका जबकि ऐसे अनेक मामलों में मुझे पंचायत भी करनी पडती है। स्पष्ट दिखा कि कानून का उददेश्य उत्तराधिकार के विवाद को कम करना नहीं था बल्कि महिला और पुरुष को दो वर्गों में बांटकर उनके बीच ऐसा झगडा लगाना था जिससे वकीलों का व्यवसाय चलता रहे, न्यायालय की भी सकियता बनी रहे और संसद भी बेकार न हो जाये। यहॉ तक कि यह भी पता नहीं है कि पुत्र को पिता के जीवित रहते क्या क्या उत्तराधिकार है।

कुछ लोग उत्तराधिकार के नियम को ही समाप्त करने के पक्ष में है लेकिन उनके पास इस बात का कभी कोई उत्तर नहीं होता कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति का क्या होगा। कौन सी सम्पत्ति उसकी व्यक्तिगत मानी जायेगी और कौन सी परिवार की। ऐसा कहने वाले अधिकांश लोग किसी न किसी रुप से सत्ता के साथ अपना संबंध बनाये रखते है और इसलिए ऐसे लोगों को सत्ता का एजेंट मान लेना चाहिए ।

फिर भी सम्पत्ति के उत्तराधिकार की प्रचलित विधियॉ बिल्कुल ही अस्पष्ट है और इन सबसे हटकर एक बिल्कुल सहज सरल विधि का विकास करना चाहिए।

अब तक भारत भी पश्चिमी जगत की व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार की अंध नकल करता रहा है। सम्पत्ति के अधिकांश विवाद इस अधिकार के ही परिणाम हैं। इसके कारण लोभ लालच भी बढता है, छल कपट भी बढता है तथा पारदर्शिता भी कम हो जाती है। यदि सम्पत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त कर दिया जाये और पारिवारिक स्वामित्व स्थापित कर दिया जाये तो सम्पत्ति के उत्तराधिकार का औचित्य अपने आप समाप्त हो जायेगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद कोई सम्पत्ति परिवार से अलग है ही नहीं जो उसकी व्यक्तिगत है। अपवाद स्वरुप यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल अकेला ही रहना चाहता है तो उसके लिए कुछ अलग से तरीका निकाला जा सकता है कि उसकी सम्पत्ति ग्राम सभा में विलीन हो जायेगी या कुछ और नियम बन सकते है। इस तरह की सरल विधि से महिला पुरुष का भाई बहन का पिता पुत्र का सम्पत्ति संबंधी विवाद अपने आप समाप्त हो जायेगा। न्यायालय में सम्पत्ति संबंधी मुकदमें बहुत कम हो जायेंगे और वकीलो की एक फौज न्यायालयों से खाली होकर या तो खेती की ओर जायेगी या किसी अन्य उद्योग धंधों में लगेगी।

मेरा स्पष्ट मानना है कि परिवार व्यवस्था को मजबूत और व्यवस्थित किये बिना समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस परिवार सशक्तिकरण की सबसे बडी बाधा सम्पत्ति का अधिकार संबंधि विवाद है। यदि इस विवाद को सहज सरल विधि से दूर कर दिया जाये तो यह बहुत बडा सामाजिक हित होगा।

मंथन क्रमांक 57
योग और बाबा रामदेव

कुछ सिद्धान्त सर्वमान्य है

1 व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। योग एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति और समाज दोनो के लिये एक साथ उपयोगी है।

2 पूरी दुनियां मे भारतीय संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ माने जाने का प्रमुख आधार बिन्दु योग है। किसी अन्य संस्कृति को योग की न जानकारी है न ही विश्वास।

योग महर्षि पतंजली से शुरू हुआ अथवा और पहले से था यह बात मुझे नही मालूम किन्तु मैने योग की दो तीन परिभाषाएं सुन रखी हैं, जिनमे एक है योगः कर्मशु कौशलम्। इसका अर्थ होता है कि कार्य मे कुशलता ही योग है । इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि कार्य मे कुशलता योग के प्रभाव से आती है । कुछ लोग कुशलता को कुशाग्रता भी बताते है। एक दूसरा अर्थ है योगः चित्त वृत्ति निरोधः अर्थात चित्त या मन पर नियंत्रण ही योग है। एक तीसरा योग का अर्थ होता है जोड। इसका अर्थ हुआ कि महर्षि पतंजली ने तीन वृत्तियो को एक साथ जोडकर योग बनाया। 1 मानसिक पवित्रता 2 शरीर शुद्धि 3 आत्मिक विकास । मुझे तीसरी परिभाषा ज्यादा उपयुक्त लगी। इन तीनो मे भी मानसिक पवित्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसका अर्थ हुआ कि योग की शुरूआत करने के लिये मानसिक पवित्रता को प्रथम चरण मानना अनिवार्य है। योग के तीनो चरण मिलकर अष्टांग योग बनते हैं। प्रथम चरण के रूप मे यम और नियम आते हैं। यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रहमचर्य अपरिग्रह के पांच सूत्रो को मिलाकर बनता है। यम के बाद नियम आता है। नियम के भी पांच भाग है। । शौच 2 संतोष 3 तप 4 स्वाध्याय 5 ईश्वर प्रणिधान। यम और नियम प्रारंभ करने के बाद ही आसन प्राणायाम और प्रत्याहार की शुरूआत करनी पडती है। अंतिम चरण के रूप मे धारणा ध्यान और समाधि मे जाने की व्यवस्था है। वर्तमान युग को देखते हुए यदि यम का आंशिक रूप मे भी पालन करना शुरू कर दिया जाये तो दुनियां की कई समस्याए कम हो सकती हैं।

योग का सबसे पहला उल्लंघन राजाओ ने शुरू किया । उन्होने यम नियम को माना ही नहीं। अन्य को तो मानने का सवाल ही नहीं है। परिणाम हुआ कि राजाओं मे आपसी टकराव बढा और भारत गुलाम हो गया । फिर भी, गुलामी काल होते हुए भी, समाज मे यम नियम का प्रभाव बना रहा । परिणाम स्वरूप देश भले ही गुलाम हो गया किन्तु समाज मे कोई बहुत बडी अव्यवस्था नहीं आई। स्वतंत्रता के बाद राजाओं का स्थान राजनीति ने ले लिया और उसने समाज को इस प्रकार गुलाम बनाया कि समाज की पूरी सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। परिणाम स्वरूप यम और नियम समाज से दूर होते चले गये। इसका परिणाम हुआ टकराव छल प्रपंच का बढना।

मै 14 वर्ष की उम्र मे ही आर्य समाज से जुडा और योग से बहुत प्रभावित हुआ । अहिंसा और सत्य पर मेरा विश्वास बढा। आनंद स्वामी तथा गुरू दत्त का साहित्य मै बहुत पढा। साथ ही अनेक अच्छे सन्यासियों के साथ सम्पर्क मे आकर एक दो वर्षो मे ही योग के ध्यान धारण समाधि तक आगे बढा। मै यह कह सकता हूँ कि बचपन मे मैने कुछ वर्षो तक जो योग का प्रयोग किया उसने मेरे अंदर विलक्षण प्रतिभाएं विकसित की। यह अलग बात है कि सत्रह अठठारह वर्ष की उम्र मे ही मुझे राजनीति की बीमारी लग गई। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मेरा योग बंद हो गया। किन्तु बचपन मे पडा यम नियम का प्रभाव आजतक मेरे संस्कारो और बौद्धिक क्षमता के साथ जुडा हुआ है। सन 84 मे राजनीति से अलग हो गया किन्तु फिर भी दुबारा योग के अंतिम आत्मिक उत्थान के तीन सूत्रो की ओर नही जा सका।

यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के बाद योग का महत्व कम होता जा रहा था। समाज मे यम और नियम निष्प्रभावी हो रहे थे । कई लोग योग के यम और नियम को महत्व दे रहे थे किन्तु परिणाम अच्छा नहीं हो रहा था। ऐसे समय मे बाबा रामदेव ने यम और नियम को योग के विस्तार मे बाधक समझा और उन्होने आसन प्राणायाम प्रत्याहार को ही योग के रूप मे सीमित करके समाज के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। स्वाभाविक है कि योग बहुत सरल हो गया और आम लोग अपने स्वास्थ के लिये योग को महत्व देने लगे। यहां तक कि नरेन्द्र मोदी ने योग के इस सरल मार्ग को पूरी दुनियां तक पहुंचा दिया और दुनियां भी इस संशोधित मार्ग को महत्व देने लगी। मै यह नही कह सकता कि बाबा राम देव का यह प्रयास समाज के लिये कितना अच्छा है कितना बुरा। लेकिन मै इतना अवश्य कह सकता हूं कि सरलीकृत योग और बाबा रामदेव एक दूसरे की पहचान बन गये गये। अर्थात योग ने बाबा रामदेव को जमीन को उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया तो बाबा रामदेव ने भी योग को आसमान से उतारकर जमीन तक उपयोगी बना दिया। आज बाबा राम देव के आर्थिक चमत्कार का मुख्य आधार योग ही है।

मै नही कह सकता कि बाबा रामदेव स्वयं यम और नियम का किस सीमा तक पालन करते हैं लेकिन इतना स्पष्ट है कि उन्होने योग की पूरी पूरी मार्केटिंग की । आज तक यह बात साफ नही हुई कि बाबा रामदेव एक सन्यासी हैं अथवा व्यापारी फिर भी यह बात अवश्य है कि बाबा रामदेव कुल मिलाकर अन्य लोगो की तुलना मे अच्छे व्यक्ति हैं। यदि उन्हे सन्यासी की कसौटी पर परखा जाये तो वे एक पतित सन्यासी से अधिक कुछ नही हैं। किन्तु यदि उन्हे एक व्यापारी की कसौटी पर कसें तो वे भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यापारियो मे माने जाने चाहिये। उन्होने मिलावट को चुनौती दी, स्वदेशी का विस्तार किया, आयुर्वेद तथा प्राचीन विद्या को भी आगे बढाने मे अपने धन का बहुत उपयोग किया । आज भी बाबा रामदेव का बहुत बडा व्यय सामाजिक कार्यो मे होता है। हम भले ही सन्यासी के रूप मे बाबा रामदेव के चरण स्पर्ष करने से अपने को दूर रख ले किन्तु एक आदर्श व्यापारी के रूप मे तो उनका महत्व पूर्ण सम्मान होना ही चाहिये। जिस तरह भारत की राजनीति नीचे गिरती रही है उसमे बाबा रामदेव ने नरेन्द्र मोदी के साथ खडे होकर सम्हालने का प्रयास किया है। वह प्रयास भी बहुत अच्छा है।

फिर भी योग का सरलीकृत स्वरूप कोई आदर्श स्थिति नहीं है। यम और नियम का विस्तार होना ही चाहिये । मानसिक पवित्रता के अभाव मे सामाजिक शान्ति हो ही नही सकती चाहे हम कितना भी व्यक्ति को आसन प्राणायाम प्रत्याहार करा लें और मानसिक पवित्रता सिर्फ यम के प्रारंभ से ही आ सकती है। वर्तमान सरकार भी आसन प्राणायाम और प्रत्याहार के माध्यम से योग को आगे बढाकर समस्याओ का आंशिक समाधान खोज रही है और कर रही है किन्तु यम नियम को प्रभावी प्रभावी किये बिना समाधान नही हो सकेगा। स्पष्ट है कि राजनेताओ ने ही यह समस्या पैदा की है और वही यम नियम को समाज से बाहर करने के दोषी माने जायेगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि बिना यम नियम की ओर बढे समस्याओ का समाधान नही होगा । इसलिये आवश्यक है कि समाज राजनीति पर सामाजिक अनुशासन का मार्ग खोजे। यही मार्ग समाज की समस्याओ का समाधान कर सकेगा। और तब योग के माध्यम से भारत विश्व गुरू भी बनने की क्षमता बढा सकता है। इस संबंध मे हमारे धर्म गुरूओ को भी विचार करना चाहिये और बाबा रामदेव को भी । मुझे तो सिर्फ राजनीति ने ही योगभ्रष्ट किया था बाबा रामदेव तो राजनीति और सम्पत्ति दोनो के फेरे मे पड गये है।

न्यायिक सक्रियता कितनी उचित

पिछले दिनों न्यायपालिका ने चार महत्वपूर्ण निर्णय दिये– 1 निजता का अधिकार। 2तीन तलाक 3 दिवाली में पटाखा का उपयोग। 4 अवयस्क पत्नी के शारीरिक संबंध अवैध। यदि हम कुल मिलाकर विधायिका और न्यायपालिका के बीच आकलन करें तो विधायिका न्यायपालिका की तुलना में कई गुना अधिक गलत है। किन्तु यदि हम सिर्फ

न्यायपालिका की समीक्षा करें तो उपरोक्त चार सक्रियताओं में से निजता के अधिकार को छोडकर बाकी तीनों मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप अनावश्यक है। तीन तलाक के संबंध में न्यायपालिका को विचार ही नही करना चाहिए था क्योंकि वह पूरी तरह सामाजिक विषय है। जब किसी भी व्यक्ति को चाहे वह महिला हो या पुरुष उसकी सहमति के बिना एक मिनट भी किसी आंतरिक समझौते के अन्तर्गत रोककर नहीं रखा जा सकता तब तलाक एक हो या तीन हो या दस इसका प्रश्न ही कहां खडा होता है । इसी तरह विवाह के संबंध में भी राज्य के कानून गलत हैं न कि सामाजिक व्यवस्था । यदि कोई 15 वर्ष की लडकी किसी भी रुप से स्वयं को न रोक सके तब उसके लिए न्यायालय या कानून ने क्या व्यवस्था की है? यदि आप किसी की प्राकृतिक भूख पर कोई निर्देश जारी करते है तो आपका दायित्व है कि आप उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी करें। इसी तरह पटाखा या बम दिवाली पर फूटना उचित नहीं है किन्तु यह रोकना उस क्षेत्र के नगर निगम का काम है न कि सरकार का, न कि न्यायालय का। उससे प्रदूषण फैलता है यह सोचना न्यायालय का काम नहीं है । न्यायपालिका अपने मुकदमें 20–30 साल तक न निपटावें और बाकी सब फालतू फालतू कामों में अपना समय लगाती रहे यह उचित नहीं। मेरे विचार से न्यायपालिका को इस मामले में हस्तक्षेप करने का लोभ छोडना चाहिए।

आरुषि हत्या काण्ड

आरुषि हत्या काण्ड मामले में न्यायालय से आरुषि के माता पिता की भी रिहाई हो चुकी है। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि आरुषि की हत्या किसने की। यह भी स्पष्ट नहीं है कि आरुषि के माता पिता दोषी होते हुए भी छूट गये या निर्दोष होते हुए भी इतने वर्ष जेल में रह गये। किन्तु इस घटना ने दो महत्वपूर्ण प्रश्न खडे कर दिये हैं–

1) पुलिस या जांच टीम द्वारा निर्दोष सिद्ध व्यक्ति को यदि न्यायालय आदेश देकर न्यायालय में मुकदमा प्रस्तुत कराता है और वह व्यक्ति निर्दोष सिद्ध होता है तो दोषी कौन? क्या इस प्रकिया पर फिर से विचार नहीं होना चाहिए? न्यायालय आदेश देकर अपने पास मुकदमा प्रस्तुत करावे और फिर वही न्यायालय निर्णय करे इसमें न्याय के प्रति संदेह पैदा होता है।

2) यदि किसी परिवार का मुखिया बिना किसी खराब नीयत के अपने संरक्षित किसी की हत्या कर दे तो ऐसी हत्या खराब नीयत वाले की हत्या की तुलना में कम गंभीर अपराध होना चाहिए। यदि आरुषि और हेमराज के किसी अनैतिक कार्य से क्षुब्ध होकर माता पिता ने हत्या भी कर दी तो वह हत्या बुरी नीयत से नहीं की गई बल्कि पारिवारिक या समाजिक परम्पराओं की सुरक्षा के लिए की गई। हत्या हत्या है चाहे वह अच्छी नीयत से हो या बुरी नीयत से। अपराध तो होगा ही किन्तु दोनों अपराध एक समान नहीं माने जा सकते क्योंकि परिवार एक संगठन है और संगठन के अनुशासन के निमित्त कोई आपराधिक कार्य उतना गंभीर नहीं माना जा सकता जितना किसी अन्य द्वारा किया गया आपराधिक कार्य। आज कल एक गलत धारणा प्रचलित हो गई है कि औनर किलिंग अधिक गंभीर अपराध है क्योंकि मरने वाला मारने वाले की सुरक्षा में था। प्रश्न सुरक्षा का नहीं है बल्कि नीयत का है। यदि किसी ने अपने परिवार के किसी सदस्य की सम्पत्ति हडपने के लिए उसकी हत्या कर दी तो वह गंभीर अपराध होगा किन्तु यदि परिवार का कोई सदस्य किसी दूसरे की सम्पत्ति हडपना चाहता है और उसकी हत्या कर दी जाये तो ऐसी हत्या अपराध होते हुए भी कम अपराध मानी जानी चाहिए। मेरे विचार से तलवार दम्पत्ति का मुकदमा प्रस्तुत करने का आदेश कानून सम्मत होते हुए भी उचित नहीं था। साथ ही तलवार दम्पत्ति को दी गई आजीवन कारावास की सजा कानून सम्मत होते हुए भी गलत थी।

यदि आरुषि हेमराज अवयस्क होते हुये भी आपराधिक कार्य कर रहे थे और उस अपराध के लिए गैरकानूनी तरीके से किसी ने दण्डित कर दिया तो यह दण्ड एक गैरकानूनी कार्य है, कोई अपराध नहीं। गैरकानूनी कार्य के लिए आपराधिक दण्ड नहीं हो सकता। मान लीजिए कि किसी पुलिस वाले ने अपने किसी व्यक्तिगत विरोधी की व्यक्तिगत कारणों से हत्या कर दी और उसने किसी गंभीर अपराधी को बार बार न्यायालय से निर्दोष छूट जाने के कारण हत्या कर दी तो दोनों घटनाओं में एक समान दण्ड नहीं हो सकता क्योंकि दोनों घटनाओं में नीयत का फर्क है। यदि कानून एक समान मानता है तो कानून गलत है,न्यायालय गलत है, न कि कानून का पालन करने वाला।

समीक्षा नरेन्द्र मोदी सरकार की

नरेन्द्र मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री बने उस दिन से मन में अनेक परिणामों की कल्पनायें प्रत्यक्ष हो रही थीं। कल्पनाओं से भी अधिक मोदी जी के आश्वासन उत्साह बढा रहे थे। 3 वर्ष हो गये। यदि हम आश्वासनों की समीक्षा करें तो मन में असंतोष पैदा होता है। जिस तरह समाज में अपराध निरंतर बढ रहे थे आज भी वह बाढ उसी तरह जारी है। कश्मीर की समस्या भी उसी तरह खडी है।अर्थव्यवस्था में भी कोई बडा बदलाव नहीं दिखा। आज भी श्रम की तुलना में नौकरियों का आकर्षण उसी तरह बना हुआ है। आज भी सरकार नौकरी देने को ही रोजगार मान रही है जबकि रोजगार को श्रम के साथ जुडना चाहिये था। महिला पुरुष टकराव महिलाओं के पक्ष में बढता ही जा रहा है। शहरों की आबादी निरंतर बढ रही है । ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर हमारी कल्पनाएँ साकार नहीं हो सकी और मोदी जी पूरी तरह असफल हुये।

जब हम 70 वर्षो के प्रशासनिक ढांचे से नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल की तुलना करते हैं तो हमें बहुत ही उत्साहजनक परिणाम दिखाई देने लगते हैं। अल्पसंख्यक साम्प्रदायिकता मुँह छिपाने के लिए मजबूर हो गई है। परिवारवाद की राजनीति अपने अस्तित्व की चिंता में एकजुट हो रही है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से देश को गुलाम बनाने वाले परेशान हैं। साम्यवाद समाप्ति की ओर है। भारतीय संस्क ृति और आयुर्वेद या होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियॉ फिर से जीवित हो सकती है। भ्रष्टाचार नियंत्रण में आता दिख रहा है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि नरेन्द्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री दिख रहे है जिनसे निराशा के बादल छंटने की उम्मीद बनी है। मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि भले ही मेरी उम्मीदें कभी पूरी न हो किन्तु मेरी हार्दिक इच्छा है कि अब नरेन्द्र मोदी के पूर्व की राजनीति किसी भी परिस्थिति में जिंदा न हो सके। इसका अर्थ हुआ कि या तो मजबूरी में मोदी ही रहें अथवा मोदी की जगह कोई अन्य नये विकल्प की राजनीति भारत में आगे बढे जो पिछली राजनैतिक प्रणाली को कब्र में दफनाकर मोदी की कार्यप्रणाली से गुणात्मक प्रतिस्पर्धा कर सके।

पी चिदम्बरम के कश्मीर संबंधी बयान का औचित्य

पूर्व गृहमंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कश्मीर को और अधिक स्वायत्तता देने का सुझाव दिया है। उनके अनुसार कश्मीर के विलय की शर्तो का उलंघन हो रहा है। मैं भी निरंतर पूरे देश के हर गांव तक बल्कि परिवार तक अधिक से अधिक स्वायत्तता देने का पक्षधर हूँ। पी चिदम्बरम जी कश्मीर में राज्य के हस्तक्षेप की जो सीमा बनाना चाहते है वह सीमा मैं पूरे भारत में बनाने का पक्षधर हूँ किन्तु मेरे सुझाव और चिदम्बरम जी के सुझाव में एक मौलिक अंतर है। मैं देश भर में स्वायत्तता का पक्षधर हूँ और बार्डर एरिया में सैनिक शासन का पक्षधर। मैंने हमेशा लिखा है कि बार्डर के पन्द्रह किलोमीटर तक पूरी तरह सैनिक शासन होना चाहिए। कश्मीर को तो मैं बिल्कुल ही स्वायत्तता के बिरुद्ध हूँ क्योंकि कश्मीर की स्थिति अन्य प्रदेशों से भिन्न है। दुनिया का मुसलमान संदेहास्पद हो गया है। कश्मीर का भी उसी प्रकार है। इसलिए यदि पूरे भारत को ग्राम स्वराज्य दिया जाये तब भी कश्मीर को नहीं देना चाहिए क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं है। जब भारत स्वतंत्र हुआ और कश्मीर का विलय हुआ उस समय कोई शर्त नहीं थी। चिदम्बरम जी का कथन पूरी तरह गलत है। विलय के कई वर्ष बाद भारत सरकार ने कश्मीर को कुछ विशेष सुविधाये दी थी जो धारा 370 में लिखी गई है। ये शर्ते द्विपक्षीय समझौता न होकर कश्मीर को विशेष सुविधा के रुप में थी जिसे भारत कभी भी वापस ले सकता है। विशेष रुप से किसी कांग्रेसी को ऐसा प्रस्ताव देने के पूर्व अधिक सतर्क रहना चाहिए था क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की तरफ एकपक्षीय रुप से झुके रहने के लिए बदनाम है। मैं कह सकता हूँ कि चिदम्बरम जी का कथन पूरी तरह गलत है, घातक है और अव्यावहारिक भी है।

महाराष्ट्र नव निर्माण सेना और संजय निरुपम

महाराष्ट्र नव निर्माण सेना एक उपद्रवी कार्यकताओं का संगठन मानी जाती है। उससे आम लोग भयभीत रहते हैं। पहली बार उसके कार्यकर्ताओं को रेहडी पटरी पर ठेला लगाने वालो ने दौडा दौडा कर पीटा । बताया जाता है कि कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने उन्हें प्रोत्साहित किया। मैं किसी भी प्रकार की हिंसा के विरुद्ध हूँ। यदि कोई हिंसा होती है तो उसकी प्रतिकिया स्वरुप भी मैं हिंसा का पक्षधर नहीं। फिर भी महाराष्ट्र में फेरीवालो ने तोड फोड करने वालो को जिस तरह दौडा दौडा कर पीटा उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। यदि कोई अपने को दादा गुण्डा मानने लग जाये और आम लोग उससे डरने लगे तो यदि कोई हिम्मत करके खतरे उठाकर भी उसका मुकाबला करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। मैं संजय निरुपम की प्रशंसा करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

1 नवीन कुमार जी

प्रश्नः—यह सच है कि गांधीवादी और सर्वोदय आन्दोलन से जुडे व्यक्तियों का प्रभाव पूरे देश में निरंतर घटता जा रहा है। साथ ही पूरे देश में अहिंसा पर से भी विश्वास घट रहा है। ये दोनों बाते एक दूसरे से जुडी हुई है।

उत्तरः—पूरे देश में हिंसा के पक्ष में तीन संगठन निरंतर सकिय रहे—1 संघ परिवार 2 साम्यवादी 3 मुसलमान। अहिंसा के पक्ष में केवल सर्वोदय और हिन्दुओं से ही कुछ आशा थी किन्तु आम हिन्दू तो अहिंसा से दूर हटकर या तो कायर हो गया या हिंसा समर्थक। सर्वोदय से कुछ आशा थी किन्तु वह भी एक ओर तो कायर हो गया दूसरी ओर गांधी हत्या के बाद सर्वोदय संघ परिवार के अंध विरोध में इस सीमा तक आगे चला गया कि वह साम्यवाद और इस्लाम का समर्थन करने लगा। सन् 47 से लेकर आज तक लगभग पूरा सर्वोदय नक्सलवाद की भी ढाल बन कर खडा हो जाता है और मुस्लिम आतंकवादियों की भी। स्थिति यहॉ तक खराब हुई कि सर्वोदय के लोगों ने हिन्दुओं को भी संघ परिवार के साथ जुडा हुआ मान लिया जबकि भारत के आम हिन्दुओं ने कभी संघ का साथ नहीं दिया। जब मुसलमानों के पक्ष में अलग कानून बनते रहे तब भी सर्वोदय परिवार ने ऐसे कानूनों का कोई विरोध नहीं किया। सर्वोदय परिवार के पतन का सबसे बडा कारण यह हुआ कि संघ परिवार इस्लाम और साम्यवाद तो प्रत्यक्ष रुप से हिंसा के समर्थक दिखते थे किन्तु सर्वोदय प्रत्यक्ष रुप से अहिंसा की बात करता रहा और अंदर अंदर संघ विरोध के नाम पर हिंसा करने वालो का साथ भी देता रहा। सर्वोदय आज तक यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि कायरता और अहिंसा में क्या फर्क है। सर्वोदय ने प्रत्यक्ष रुप से राजनीति से दूरी बनाकर रखी किन्तु यदि कहीं भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के लोग मजबूत होते दिखे तब सर्वोदय ने अपनी कंठी माला छोडकर भारतीय जनता पार्टी को हराने में प्रत्यक्ष भूमिका अदा करनी शुरु कर दी। नतीजा यह हुआ कि सर्वोदय को अहिंसक और गांधीवादी मानने की अपेक्षा नासमझ नाटकबाज समझा जाने लगा। जब ठाकुरदास जी बंग सिद्धराज ढढढा आदि ने समझाने का प्रयास किया तो सर्वोदय पूरी ताकत से इनके विरुद्ध ही खडा हो गया। आज भी जो गांधीवादी संघ विरोध की लाईन को छोडकर लोकस्वराज्य और अहिंसक मार्ग पर बढने का प्रयास कर रहे है उनके साथ भी वामपंथी इस्लाम समर्थक सर्वोदयी तालमेल बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप सोच सकते है कि गांधीवाद और अहिंसा का कोई मजबूत समर्थक रहा ही नही ंतो हिंसा की भावना का मजबूत होना स्वाभाविक था।

2 सोनू देवरानी

प्रश्नः—आपने लिखा है कि सरकारी कानून परिवारों में विवाद पैदा करते है आपके विचार में ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो अनावश्यक है अथवा विवाद पैदा करने वाले हैं?

उत्तरः—परिवार संबंधी कई कानून विवाद पैदा करते हैं।

1 परिवार एक संगठनात्मक इकाई है। कानून उसे प्राकृतिक इकाई बना देते है।

2 विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है। कानून उसे संवैधानिक बना देते हैं।

3 किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति तक ही साथ रखा जा सकता है। कोई व्यवस्था उसे एकमिनट के लिए भी बाध्य नहीं कर सकती। तलाक के कानून बाध्य करते हैं।

4 परिवार के सदस्यों को पारिवारिक अनुशासन मानना ही होगा। कानून उन्हें अनुशासन तोडने को प्रोत्साहित करते हैं।

5 परिवार आपसी सहमति से सहमति तक ही बनते हैं। कानून उसमें हस्तक्षेप करते हैं।

6 परिवार में रहते हुए प्रत्येक सदस्य के संवैधानिक सामाजिक आर्थिक अधिकार संयुक्त हो जाते हैं। किसी सदस्य के कोई पृथक अधिकार नहीं हो सकते। कानून पृथक अधिकार भी मानता है और संयुक्त भी।

3 चितरंजन भारती, पंचग्राम, आसाम

प्रश्नः—ज्ञानतत्व का अंक 357 पढ़ा । मंथन क्रमांक 41 में आरक्षण पर आपने स्पष्टतया अपनी बात और दृष्टिकोण रखे हैं। खेद है कि लोग अपने और अपने समुदाय के हितो को देखते हुए अपनी राय कायम करते हैं जबकि आपने एक संतुलित व सम्यक दृष्टि डालते हुए निष्कर्ष निकाला है। समस्याओ की जड यही है कि हम अपनी एकांकी सोच से बाहर निकल नहीं पाते । मंथन क्रमांक 42 मे आश्रमो मे व्यभिचार पर भी स्पष्ट मत व्यक्त किया गया है, जो लोगो को पच नही पा रहा । आश्रमो मे सहमत सेक्स की बाते आदिकाल से हमारे रामायण महाभारत पुराण तक मे भरे पडे है। नैतिक दृष्टि से यह गलत दिखता है मगर व्यावहारिक दृष्टि से चल ही रहे है। दिक्कत

अति होने पर होती है और पकडे जाने पर उनकी दुर्गति तय है। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ मे आपने एक नवीन शब्द मानव स्वभाव तापवृद्धि की चर्चा की जो प्रशंसनीय है। समाज शास्त्रीय दृष्टि से यह शब्द उपयुक्त और प्रशंसनीय है। इस पर चर्चा बढाई जानी चाहिये।

उत्तर –मेरे विचार में मानव स्वभाव ताप वद्धि वर्तमान समय मे दुनियां की सबसे बडी समस्या है। यह ताप वृद्धि विश्व की राजनैतिक व्यवस्था से लेकर परिवार तक के आंतरिक संबंधो को विगाड रही है। यदि दुनियां के पांच सात अरब लोग इस ताप वृद्धि के प्रभाव के कारण विश्व युद्ध की चिंता से दिन रात भयभीत रहते है तो छोटे से छोटा दो व्यक्ति का परिवार भी आपसी व्यवहार में कटुता के भय से भयभीत रहता है कि कही चर्चा करते करते कोई बिना बात का विवाद न पैदा हो जाये ।इस मानव स्वभाव ताप वृद्धि को रोकने के लिये सबसे पहले चिंता करने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रदूषण भी एक समस्या है किन्तु मानव स्वभाव ताप वृद्धि की तुलना मे उसका महत्व नगण्य है।

4 सत्यपाल शर्मा बरेली उत्तर प्रदेश

प्रश्नः–महात्मागांधी का ग्राम स्वराज का सपना अब तक कोई भी सरकार पूरा नही कर पाई । राष्ट्रीय आय मे कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घट रही है । गांवो मे अशिक्षा अन्धविश्वास तथा विवेक की कमी के कारण गरीबी पिछडापन विषमता है। गांवो मे नशाखोरी बहुत बढ गई है। सरकारी स्कूलो मे शिक्षा का स्तर बहुत घटिया है। लेखपाल और ग्राम स्तर के कर्मचारी ग्रामीणो की अज्ञानता का लाभ उठाकर आर्थिक शोषण कर रहे हैं। शिक्षण संस्थान और शिक्षको पर बहुत बडा बजट खर्च हो रहा है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार नही हो रहा है। गरीबो के ही बच्चे सरकारी स्कूलो मे पढते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेशो की नकल करके स्मार्ट सिटी बुलेट ट्रेन आदि अनेक योजनाओ की घोषणा कर चुके है। उनके पूरा होने मे संदेह है। जब तक देश मे नैतिकता राष्ट्रीय चरित्र और शिक्षा मे गुणात्मक सुधार नही होगा तब तक विकास संभव नही है। प्रत्येक विकास कार्य मे जनता की सहमति और भागीदारी होना अनिवार्य है। भ्रष्टाचार और कामचोरी बडी समस्या है। कृपया अपने ओजस्वी विचारो से अवगत कराये।

उत्तर – मै नही समझा कि ग्राम स्वराज्य का सपना सरकार से पूरा करने की अपेक्षा ही क्यों है। ग्राम स्वराजय का अर्थ यह है कि किसी ग्राम सभा को अपने आंतरिक मामलो मे निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता । यदि किसी गांव के सब लोग मिलकर अपने गांव की सीमा के अंदर नंगे रहना चाहे तो उन्हे कोई अन्य नही रोक सकता । सरकार तो ग्राम स्वराज्य में बाधक बन रही है । सरकार यदि बीच से हट जाये तो ग्राम स्वराज्य आसानी से आ सकता है।

कृषि क्षेत्र की राष्ट्रीय आय मे हिस्सेदारी घट रही है या बढ रही है और उसका सामान्य जन जीवन पर कितना प्रभाव पड रहा है इन आकडो मे मै नही उलझना चाहता । गरीबी पिछडापन बढे है या घटे है यह निष्कर्ष भी विवादास्पद ही हैं। नशाखोरी बढ रही है यह हमारा, धर्मगुरूओ का और समाज प्रमुखो का निकम्मापन है क्योकि नशाखोरी रोकना सरकार का काम नहीं है, समाज का काम है। इसी तरह आर्थिक शोषण रोकना भी सरकार का काम नहीं है न ही शिक्षा की गुणवत्ता ठीक करना सरकार का काम है। स्कूलों पर अधिक खर्च हो रहा है और स्तर ठीक नहीं है तो सरकारी स्कूलों को बंद क्यों न कर दिया जाये। स्कूलों पर जो धन खर्च हो रहा है वह सरकार का नहीं है बल्कि समाज द्वारा दिये गये टैक्स का है। निकम्में और भ्रष्ट लोग गरीबों के नाम पर सरकारी स्कूल, अस्पताल आदि की मांग उठाते रहते है। श्रम और शिक्षा के बीच जिस तरह श्रम की अवहेलना हो रही है वह उचित नहीं है। शिक्षा और श्रम को एक दूसरे के साथ स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में कोई बाधा पैदा करना ठीक नहीं है।

यदि देश मे नैतिकता, राष्ट्रीय चरित्र और शिक्षा मे गुणात्मक सुधार नही दिख रहा है तो इसके लिये हम आपको अपनी कमी स्वीकार करनी चाहिये । यह राज्य का काम नही है। फिर भी इस मामले मे मैं राज्य को दोषी मानता हूँ क्योकि समाज का सारा काम अपने जिम्मे लेकर राज्य ने समाज को निकम्मा बना दिया है। राज्य इसके लिये दोषी है हम नहीं, आप नहीं, धर्मगुरू नहीं, समाज भी नहीं। अच्छा हो कि राज्य इन सब कार्यो को समाज पर छोडकर स्वयं को सुरक्षा और न्याय सीमित कर ले। ग्राम स्वराज्य इन सभी समस्याओं का अच्छा समाधान है।

5 श्री एम एस सिंगला,अजमेर, राजस्थान

प्रश्नः– ज्ञानतत्व का अंक 359 मिला। इस अंक में श्री अनाम का पत्र पढा। पत्र में दिए गए तथ्यों में से कुछ के प्रति जानकारी न होने से आपने अनभिज्ञता जताई हैं। यह कैसे जताई गई, समझ नहीं सका क्योंकि पहले के किसी अंक में पढने में आया था कि भारत को स्वतंत्रता किन्ही शर्तो पर दी गई है, जैसे भारत का नाम इण्डिया रहेगा, भारत में कामकाज अंग्रेजी में ही चलेगा इत्यादि। इसी में इस शर्त का भी उल्लेख था कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रहेगा। अब इस अंक में ऐसे तथ्यों से अनभिज्ञता जताना समझ से परे रही। विशेष रुप से जब कि जन गण मन तो बहुत विवादित मसला रहा है। इस विषय पर एक प्रधानाचार्य से चर्चा हुई तो उनका कहना था कि अब यह विषय सौ साल से अधिक पुराना हो चुका है, अब राष्ट्रगान में इस भावना को भुला देना चाहिये और राष्ट्रगान मान लेना चाहिए। उनकी ऐसी सोच का क्या उत्तर दिया जा सकता है।

ज्ञानतत्व के किसी अंक में आपने वैश्यालय खोल दिए जाने की वकालत की है। यह आवश्यक माना जाना चाहिए। यूपी में योगी जी ने रोम्यो स्क्वाड गठित की हुई है। क्या वे बता सकते है कि रोम्यो ने क्या अपराध किया था। लोकतंत्र का अंधेरा पक्ष यह है कि यूपीए सरकार में समलैंगिकता को हरी झण्डी दे दी गई किन्तु सेक्स वर्करों की मांग के बावजूद वैश्यालय को अनुमति नहीं दी गई। प्रधानमंत्री नमों देश में स्वच्छता अभियान चलाकर हर घर में शौचालय पर जोर दे रहे हैं क्या इसी तर्ज पर देश में अन्य व्यवस्थाओं के साथ यौन शान्ति को स्थान नहीं मिलना चाहिए ताकि सैक्स की पूर्ति वहां की जा सके। आखिर भारतीय संस्कृति में चार पुरुषार्थो में काम को यों ही स्थान नहीं दिया गया है।

आपने श्रीमदभगवदगीता पर विचार रखे हैं। इसे ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथ मानने में संकोच नहीं होना चाहिए। भारतीय इतिहास बताता है कि राजा परीक्षित ने कलियुग को आते देख लिया था और महाभारत की घटना को 5175 वर्ष हुए माने जाते है। इसे युगाब्द कहा गया है। गीता को लेकर यह शंका अवश्य उठाई गई है कि युद्धभूमि में क्या भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को घण्टा भर उपदेश देते रहे? यह भी कि युद्ध के अलावा भी अन्य विषयों पर उपदेश के लिए क्या युद्धभूमि उपयुक्त क्षेत्र था। उसके उत्तर में बाली में एक 80 श्लोक की गीता मिली है। मान्यता बन रही है कि वही वास्तविक गीता है। जो हो, इसे शंका और विवाद का विषय बनाने में कोई सार्थकता नहीं दिखती है।

जहॉ तक धर्म शब्द का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि वह मानव जाति को ही लागू होता है और वह उसके नैसर्गिक दायित्वों से ही संबंधित है। ये नैसर्गिक दायित्व पशुओं को लागू नहीं होते। जैसे जीव मात्र के प्रति दया भाव रखना,किसी को हानि न पहुंचाना, निर्बल की सहायता करना, प्रकृति से सहयोग करना आदि। धर्म का वास्तविक अर्थ इकटठा हो जाना चाहिये। आपका यह विवेचन बिल्कुल सही है। यही कारण है कि वास्तव में हिन्दूधर्म कोई धर्म नहीं है। इस शब्द का प्रयोग 500 साल पहले के ग्रन्थों में नहीं मिलेगा। भारत में प्रचलित धर्म सनातन धर्म था। सनातन धर्म वह धर्म है जो सदैव एक जैसा रहता है। इससे अलग हटकर आज जो इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म आदि हैं वे सब वस्तुतः पंथ है। उनके धर्मग्रंथों में जो कुछ कहा गया है वह जीवन जीने का मार्ग बताया गया है। अतः वे पंथ है यथा नानक पंथ कबीर पंथ आदि। धर्म के लिए कहा गया है धर्म इति धारयेति। अर्थात धर्म वह तत्व है जिसे मानव धारण करे अथवा वह तत्व जो मानवता को धारण करे।

गीता में अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म का वास्ता देकर दो बातें प्रतिपादित की गई है। पहली यह कि अन्याय सहन करना भी अन्याय है, दूसरी यह कि शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। इसलिए न कोई किसी को मारता है और न कोई मरता है। यह अनश्वर आत्मा संसार में आता जाता रहता है। हॉ, यहॉ आकर गीता ग्राहय इसलिए नहीं हो पाती कि मानव के पास बुद्धि है और कल्पना है और है दीर्घ आयु। ऐसे में गीता के उपदेश की व्यवहारिकता जल्दी गले नहीं उतरती या यों कहें प्रायः अधेडावस्था तक उसे अपनाना भगीरथ कार्य हो जाता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की अनुशंसा की थी। दूसरी ओर हरियाणा राज्य सरकार ने इसे अपने राज्य के लिए राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर भी लिया है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि गीता को केवल शासकीय दर्जा दिया जाने से आत्मतुष्टि के अलावा क्या लाभ हो सकता है। जब तक उसके संदेशों को लागू न किया जाए और तभी उसकी सार्थकता है। इसे स्पष्ट करते हुए यह कि दुर्दान्त अपराधियों को आजीवन कारावास देकर उन्हें तिल तिल कर मरने के लिए बंदी बना दिया जाता है। इससे अति दुखी होकर अनेक बंदी भी अपना जीवन समाप्त करने की जुगाड करते है। इस प्रकार किसी को लम्बी अवधि तक कारागार में रखा जाना कहां तक न्याय संगत बनता है।

उत्तरः–मुझे कहीं से भी यह जानकारी नहीं है कि भारत की स्वतंत्रता किन्ही शर्तो के आधार पर दी गई थी। यह अवश्य है कि स्वामी मुक्तानंद जी तथा कुछ अन्य साथी ऐसी बाते कहते रहे हैं लेकिन वे कभी कोई प्रमाण नहीं दे

सके । इसलिए मैंने इस प्रकार की बातों को अभी तक अफवाह ही माना है। आपको भी यदि कोई विश्वस्त जानकारी हो तो बताने की कृपा करें। आपने वैश्यालय के संबंध में जो सहमति व्यक्त की है उससे मुझे बल मिला है। जिस तरह राजनेताओं की गुप्त जानकारी सार्वजनिक हो रही है उससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हे किन्ही वैश्यालयों की आवश्यकता नहीं है। वे आम लोगों के कष्ट को क्यों महसूस करें। आज ही मैंने अखबारों में पढा कि एक 19 वर्ष के बालक ने अपनी भूख मिटाने के लिए सात वर्ष की एक बच्ची का उपयोग किया।राजनेता उस बालक को जेल में बंद करके अपनी शक्ति दिखादेंगे। इससे अधिक अच्छा तो यह होता कि वे उस बालक की भी मजबूरी को समझते और उसके लिए कोई ऐसी वैधानिक व्यवस्था करते कि उस बच्ची को कष्ट नहीं होता। मैं स्पष्ट हूॅ कि यदि कुछ लोग नहीं पहुॅचते और बालक जब भूख से शांत होता तब कानून के भय के कारण उस बालिका की हत्या भी कर सकता था। आज कल बलात्कार और हत्याओं के बढते हुये ग्राफ के लिए किसी एकाध नेता को सार्वजनिक फांसी देने की आवश्यकता है।

आपने गीता के संबंध में जो लिखा है उससे मेरी सहमति है। आपने अपराधियों को लम्बे समय तक बंदी बनाकर रखने पर प्रश्न उठाया है। दण्ड देने के तीन उददेश्य हैं– 1 पीडित को संतोष 2 अपराधी के सुधरने के अवसर 3 समाज में अपराधों के प्रति भय का बढना । मैं तो वर्तमान स्थिति को देखते हुये इस मत का हूॅ कि अधिक कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। अर्थात समाज में अपराधो के प्रति भय और अधिक बढना चाहिए। यदि सार्वजनिक फांसी भी शुरु करनी पडे तो अल्पकाल के लिए करना चाहिए। मैंने तो इसके पूर्व भी कई बार लिखा है कि फांसी की सजा घोषित व्यक्ति अथवा आजीवन जेल की सजा प्राप्त व्यक्ति यदि दोनों आंख निकाल कर अंधा बनकर जमानत पर छूटना चाहे तो उसे अनुमति देनी चाहिए। इससे जेलो पर बोझ कम हो जायेगा और फांसी भी नहीं देनी पडेगी। साथ ही उसके अंधेपन को देखकर उसका समाज पर काफी अच्छा प्रभाव पडेगा। मेरे इस सुझाव पर आपकी कभी प्रतिक्रिया नहीं आयी।

6 वेलजी भाई देसाई, राजकोट, गुजरात

प्रश्नः– आपकी प्रवृति से जो कुछ हो सके सहयोग देने की इच्छा है। मुझे ज्ञानतत्व के दो अंक मिले है। उसके बाद वस्तुतः समय से नहीं मिला । दिल्ली आने का आमंत्रण फोन से मिला था। बाद में कोई पत्र नहीं आया। मुझे अपनी बात बोलने का कोई मौका नहीं मिलेगा ऐसा मान के नहीं आया। मैं गांधी जी की स्वदेशी विचारसारणी के अनुसार पूरा समय काम कर रहा हूॅ।

उत्तरः– 6 अगस्त की संवैधानिक चर्चा में आपकी उपस्थिति उपयोगी होती। मैं प्रतीक्षा कर रहा था। आयोजक रामबहादुर राय तथा अशोक गाडिया जी थे। मैं नहीं कह सकता कि बोलने का अवसर मिलता या नहीं किन्तु आपके साथ बैठकर संविधान संबंधी अच्छा विचार विमर्श हो सकता था। आपकी संविधान संबंधी पुस्तक मैंने पढी है । मैं बहुत प्रभावित हुआ हूॅ। आचार्य पंकज जी के नेतृत्व में जो संविधान मंथन सभा का गठन हुआ है उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कभी आपसे प्रत्यक्ष मुलाकात होगी तब और चर्चा हो सकेगी।

उत्तरार्ध

अपनो से अपनी बात

व्यवस्थापक

व्यवस्थापक का पूरा नाम व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी है। इसका लक्ष्य है सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन अर्थात विश्व की आर्थिक सामाजिक धार्मिक राजनैतिक सब प्रकार की विकृतियों से मुक्ति। वर्तमान में यह कार्य प्रथम चरण के रुप में भारत से इस प्राथमिकता से शुरु किया गया है कि भारत में समाज और राज्य के बीच का शक्ति संतुलन राज्य के पक्ष में एकतरफा झुक गया है। राज्य समाज का प्रबंधक या मैनेजर होता है किन्तु राज्य ने स्वयं को शासक कहना और मानना शुरु कर दिया है। इस स्थिति में बदलाव के लिए व्यवस्थापक अभियान चला रहा है जिससे समाज स्वयं को शासित के स्थान पर मालिक समझे और तंत्र से जुडी सभी इकाइयां स्वयं को शासक की जगह प्रबंधक या व्यवस्थापक। इस निमित्त व्यवस्थापक चार भिन्न भिन्न संस्थाओं के माध्यम से सकिय हैः–

1 विचार मंथन। संचालक बजरंग मुनि जी।

2 संविधान मंथन। संचालक आचार्य पंकज जी।

3 ग्राम संसद अभियान। संचालक ओमप्रकाश जी दुबे, रामवीर जी श्रेष्ठ, प्रमोद कुमार केसरी,।

4 ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान। संचालक प्रवीण शर्मा जी।

चारों संस्थाओं का ढांचा बिल्कुल अलग अलग है किन्तु चारों एक दूसरे के सहायक हैं। कोई भी साथी किसी भी एक या सभी संस्थाओं से भी जुड सकता है।

ग्राम संसद का अर्थ है भारत की प्रत्येक ग्राम/वार्ड सभा को राष्ट्रीय संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका तथा अपने आंतरिक कानून बनाने तथा कियान्वित करने की स्वतंत्रता। व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम इस एक आधार को महत्वपूर्ण मानकर जनजागरण कर रहे हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी परिस्थिति में कोई कानून नहीं तोडेंगे। हम पूरी तरह अहिंसक तरीके से जनजागरण तक सीमित रहेंगे। अपनी सकियता और प्रगति के आधार पर हमारा आकलन है कि हम ग्राम संसद अभियान को दो हजार चौबीस के पूर्व ही निर्णायक परिणाम तक पहुंचाने में सफल होंगे। साथ साथ विचार मंथन संविधान मंथन तथा ग्राम सभा सशक्तिकरण के लिए भी जनजागरण चलता रहेगा।

संस्था में चार इकाइंया बन रही हैः—1 राष्ट्रीय समिति 2 देश भर को निन्यानवे लोक प्रदेशों में बांटकर लोक प्रदेश कमेटी 3 प्रत्येक लोक प्रदेश को ब्लाक शहर के आधार पर लगभग सौ लोक जिलों में बांटकर क्षेत्रीय कमेटी तथा 4 प्रत्येक क्षेत्र को गांव या वार्ड में बांटकर स्थानीय कमेटी का गठन। अभी लोक प्रदेश समितियों के गठन का कार्य चल रहा है। लोक प्रदेश समिति का गठन होते ही उक्त लोक प्रदेश समिति की एक बैठक करके लोक प्रदेश सम्मेलन की योजना बनेगी। साथ ही उस बैठक में लोक प्रदेश प्रमुख तथा केन्द्रीय नीति समिति के सदस्य का भी चयन होगा। लोक प्रदेश समिति योजना बैठक तथा लोक प्रदेश सम्मेलन तक का पूरा कार्य एक जनवरी उन्नीस तक पूरा होने की योजना है। इस बीच अपने लोक प्रदेश के साथी ब्लाक शहर अर्थात क्षेत्रीय स्तर की कमेटी बनाते रहेंगे। एक जनवरी उन्नीस के आसपास राष्ट्रीय बैठक में आगे के कार्यकमों की योजना बनेगी।

इस जन जागरण अभियान के अंतर्गत सम्पूर्ण भारत में 99 लोक प्रदेश में एक साथ जनजागरण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। कार्य बहुत कठिन है, किन्तु यही एक मात्र ऐसा मार्ग दिखता है जिसके माध्यम से देशभर में व्यवस्था परिवर्तन संभव है। वर्तमान समय में भारत का लोकतंत्र लोक नियंत्रित तंत्र की जगह लोक नियुक्त तंत्र में बदल गया हैं। जिसे प्रबंधक या मैनेजर होना चाहिए था, वह अपने को सरकार कहने और मानने लगा है। यह स्थिति बदले, यही व्यवस्था परिवर्तन है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए ग्राम संसद अभियान देश में जन जागरण कर रहा है।

आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। मंथन का कार्य फेसबुक, वाटस अप,ज्ञानतत्व तथा काश इंडिया डॉट कॉम, वेबसाइट के माध्यम से चल रहा है। संविधान मंथन के लिए भी करीब तीन हजार बुद्धिजीवियों की टीम बन रही है। यह टीम 2020 में एक माह तक एक साथ बैठकर वर्तमान संविधान की समीक्षा करेगी। ग्राम सभा सशक्तिकरण की भी सकियता है किन्तु ग्राम संसद अभियान का अधिक तेज गति से संस्थागत स्वरुप दिया जा रहा है। प्रत्येक लोक प्रदेश में सौ सौ लोगों की कमेटी बन रही है जिसमें प्रत्येक जिले की संतुलित भागीदारी रखी जा रही है। दो तीन माह बाद इस कमेटी की बैठक लोक प्रदेश स्तर के ही किसी जिले में रखी जायेगी। इस बैठक में अलग अलग लोकप्रदेशों की योजनाएँ बनेंगी। आप बहुत समय से व्यवस्था परिवर्तन से परिचित रहे है। हम चाहते है कि आप इस स्वतंत्रता अभियान में यथाशक्ति सहायता करें। आप में से जिन साथियों ने अब तक लोक प्रदेश कमेटी की सदस्यता स्वीकार नहीं की है वे अपनी क्षमतानुसार हमें सूचित करें। जो लोकप्रदेश की सदस्यता की जगह ब्लाक/वार्ड समिति तक रहे वे उस अनुसार भी सूचना दे सकते है। जो साथी समय नहीं दे सकते है वे आर्थिक सहायता भी कर सकते है। जो साथी वृद्ध है या बीमार है वे ईश्वर से प्रार्थना कर सकते है। इस तरह हम आप सब मिलकर इस जनजागरण अभियान को पूरा करने का प्रयास करें। मेरी उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर आप मेरी जिस प्रकार की भूमिका की अपेक्षा करेंगे मैं उससे पीछे नहीं रहूँगा।

आपका

बजरंग मुनि

मो0न0—9617079344